राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 389/2015/भीलवाडा

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–III, प्रतिकरापवंचन, भीलवाडा। ....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स पवन फिटनेंस सेन्टर,
सी–11, संजय कॉलोनी, भीलवांडा। ....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से
अनुपस्थित। ....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 07/09/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाडा (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 57/वैट/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 22.09.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, घट–द्वितीय, भीलवाडा (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.07.2013 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) तहत् आरोपित शास्ति राशि रूपये 22,240/– अपास्त किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 21.05.2013 को वक्त जांच ट्रांसपोर्ट कम्पनी द्वारा सशक्त अधिकारी के समक्ष बिल्टी संख्या 40/1016 के अतिरिक्त अन्य कोई बिल/चालान प्रस्तुत नहीं किया। सशक्त अधिकारी द्वारा कार्यकर्ता मैनेजर से पूछने पर उसने बताया कि उक्त बिल्टी के अतिरिक्त उनके पास अन्य कोई दस्तावेज यथा बिल/चालान नहीं है। इस पर सशक्त अधिकारी ने प्रथम दृष्टया करापवंचन मानकर प्रत्यर्थी व्यवहारी को अधिनियम की धारा 76(2)(बी) के तहत् कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस के जवाब में प्रत्यर्थी व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर माल से संबंधित बिल पेश किये, परन्तु वक्त जांच बिल का होना प्रमाणित करने में असफल रहे, जिससे असंतुष्ट होकर सशक्त अधिकारी द्वारा शास्ति राशि रूपये 22,240/– का आरोपण कर दिया। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार करते हुए आरोपित मांग राशि को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. विभागीय प्रतिनिधि की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

लगातार..........................2

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि वक्त जांच माल के साथ बिल्टी संख्या 40/1016 के अलावा अन्य कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे, इससे प्रत्यर्थी व्यवहारी की करापवंचन की मनोभावना सिद्ध होती है। आगे उन्होंने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. विभागीय प्रतिनिधि की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वक्त जांच ट्रांसपोर्ट कम्पनी के पास बिल्टी संख्या 40/1016 के अतिरिक्त अन्य कोई बिल/चालान उपलब्ध नहीं था, एवं सशक्त अधिकारी द्वारा कार्यकर्ता मैनेजर से पूछने पर उसने बताया कि उक्त बिल्टी के अतिरिक्त उनके पास अन्य कोई दस्तावेज यथा बिल/चालान नहीं है, जिसे सशक्त अधिकारी ने अधिनियम की धारा 76(2)(b) का उल्लंघन मानकर अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति का आरोपण कर दिया। सर्वप्रथम प्रकरण में अधिनियम की धारा 76(2)(b) उद्धरित किया जाना उचित होगा, जो कि निम्न प्रकार है:–

> **76(2)(b) Carry with him a goods vehicle record including "challans" and "bilties", invoices, prescribed declaration forms and bills of sale or dispach memos.**

7. उक्त प्रावधान के अनुसार वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा परिवहनित माल से संबंधित बिल–बिल्टी, डिस्पैच मीमों एवं निर्धारित घोषणा पत्र परिवहन के समय साथ रखा जावे एवं मांगे जाने उन्हें सशक्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें, यह एक निर्विवाद तथ्य है कि वक्त जांच माल के साथ बिल्टी के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज यथा बिल/चालान उपलब्ध नहीं थे, परन्तु प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा नोटिस के जवाब के साथ बिल प्रस्तुत कर दिया था, जिसकी सत्यता की जांच किये बिना ही सशक्त अधिकारी ने शास्ति का आरोपण कर दिया, जो किसी भी परिस्थिति में विधिसम्मत एवं उचित नहीं मानी जा सकती है। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होने से हस्तक्षेप योग्य नही है।

8. फलतः अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश 22.09.2014 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

7/9/17

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य